मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण, विकास के लिये स्वीकृति पत्र

संख्या–.....98..... मु0वि0प्रा0/मानचित्र **संख्या**– BF/C/VC/90/2014-15, **दिनांक**– 9-5-17...... **चढ्ढ़ा ब्रास लिमिटेड, श्री इन्द्रजीत सिंह चढ्ढ़ा, निवासी**– 455,सिविल लाईन्स, मुरादाबाद, **स्थल**– ग्राम छावनी मुरादाबाद, तहसील व जिला–मुरादाबाद के **गाटा सं0 1, 2, 3, 4** के कुल रकबा **12757.52 वर्गमीटर** भूमि पर **'अकाश रेजीडेन्सी'** अफॉर्डेबिल ग्रुप हाउसिंग (396 भवनों) का मानचित्र।

आपको सूचित करना है कि भवन निर्माण सम्बन्धी मानचित्र उ0प्र0 नगर नियोजन एंव विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो एंव प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृति किया जाता है। जिसकी प्रति आदेश के साथ संलग्न है।

1. यह मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से केवल 05 वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका मु0वि0प्रा0 रेलवे सेटिलमेंट, नोटिफाईड एरिया किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नही होता यदि प्रभावित होता है तो उसकी जिम्मेदारी निर्माणकर्ता पर होगी।
3. मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा जो वह बिना आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र विकास कार्य के उपयुक्त नही होगा, उस पर शासन अथवा किसी भी स्थानीय निकाय को विकास करने की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
6. दरवाजे व खिड़कियों इस तरह लगाये जायेगें कि वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि अथवा सड़क आदि की ओर प्रोजेक्टेड न हो।
7. बिजली की लाईन में 05 फीट के अन्दर से तथा विद्युत उपनियमों (पाईप लाईन) के विरूद्ध कोई कार्य न किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन, सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री बिल्डिंग मैटिरियल नही रखा जायेगा तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वंय करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्र का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना आवश्यक होगा ताकि स्थल पर हो रहे निर्माण की मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के द्वारा (स्पैसीफिकेशन) नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भूमि एंव भवन के स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वंय प्रार्थी पर होगी।
10. सड़क पर अथवा बैक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टेप्स नही बनाया जायेगा और वह अपना कार्य केवल अपने ही भूमि पर सम्पन्न करेगा।
11. यदि मानचित्र में उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कन्डीशन) के साथ किया जाता है तो वह पूर्णतया मान्य होगी एंव भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य समय–समय पर प्रसारित शासनादेशों को ध्यान में रखते हुए ही किया जायेगा।
12. निर्माणकर्ता इस स्वीकृति का उपयोग नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 की किसी भी धारा से बचने के लिये नही कर सकेगा और यदि उस स्वीकृति का विपरीत प्रभाव उपरोक्त अधिनियम की किसी भी धारा पर पड़ता है तो वह स्वीकृति उस सीमा तक निरस्त समझी जायेगी।
13. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार विकास कार्य पूर्ण होने के 01 माह के अन्दर अपना कार्य पूर्ण होने का प्रमाण–पत्र प्राप्त करेंगे तथा योजना नगर निगम को हस्तान्तरित करनी होगी।
14. भू–स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वंय आपकी होगी एंव भूमि विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
15. भवन का पानी नाली में ही जाये, सड़क पर न फैले। प्रार्थी को इसकी समुचित व्यवस्था करनी होगी।
16. भूखण्ड के सामने 50 पेड़ लगाने अनिवार्य होंगे।
17. समस्त शर्तो का अनुपालन पुर्व में प्रेषित पत्र सं0 320/मु0वि0प्रा0/मानचित्र दिनांक 13.01.2015 के अनुसार सुनिश्चित करना होगा।
18. पुर्व देय धनराशि का नियमानुसार समय से भुगतान किया जाना होगा अन्यथा दण्डात्मक ब्याज के साथ भुगतान करना होगा।
19. आपको प्रत्येक दशा में श्रम विभाग में शत प्रतिशत श्रमिकों का पंजीकरण कराना होगा।
20. यदि तथ्यों को छुपाकर अथवा तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके मानचित्र स्वीकृत कराया गया है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

Recd
01/05/17

भवदीय

9/5/17

नगर नियोजक,
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद।